

21/2017



आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

10/4/18 वकील उमपपक्ष उपस्थित  
वहस प्रार्थनापत्र के अन्तर्गत  
वहस दरखास्त दिनांक 24/4/18 के  
पेअरें।

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (बंगलुरु)

24/4/18 वकील उमपपक्ष उम  
वहस प्रार्थनापत्र को अन्तर्गत  
वाले वहस प्रार्थना दिनांक  
12/6/18 को पेअरें।

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (बंगलुरु)

12/06/18

प्रजापती राजकु लोका अदालत में  
पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान के  
सुना गया। सुन सकी टानी के  
ख.नं. 212/0-20, 213/0-26 हेक्टरे की  
दावेदारी शर्मा व प्रभुदयाल, गिरधारी,  
उमासीलाल, सोमका, अर्जुन, मन्धू  
बीनाराम के नाम दर्ज रिकार्ड हैं।  
उमपपक्ष के मध्य ख.नं. 212 को  
लेका विवाद है। अतः वाद के न्याय  
पूर्ण निस्तार तक न्यायद्वि में दोनो  
पक्षों को समक्षता मूल वाद अस्थापी  
निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि  
ख.नं. 212, 213 के राजकु रिकार्ड  
एवं नोका की प्रकाशिकी कापस  
रखे। निर्दिष्ट मसौदे काम- सुनाया गया।

निर्णय

समझौता

11/18

पीठासीन अधिकारी

21/06/18

